// गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.) //

क्रमांक- /स्टेनो/स्था./प्रशा./97 बिलासपुर, दिनांक-

// आदेश //

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक- 30.07.97 में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम (1973(22-1993) की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिये गये निर्णय के अंतर्गत श्री अनुराग चौहान को व्याख्याता, अंग्रेजी के पद पर वेतनमान 2200-75-2800-100-4000(यू.जी.सी. वेतनमान) में दो वर्ष की परिवीक्षावधि में उनके उपस्थिति दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन विश्वविद्यालय नियम के अनुसार निर्धारित किया जायेगा वेतन के साथ मिलने वाले भत्ते यथा महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि तथा भविष्य निधि की सुविधा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राप्त होगी, सेवा की अन्य शर्तें विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं अध्यादेश- 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी ।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

कुलसचिव,

पृ.क्र.— 177/स्टेनो/स्था./प्रशा./97 बिलासपुर, दिनांक- 11-8-97

प्रतिलिपि :-

1. श्री अनुराग चौहान को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें । कार्यभार ग्रहण करने की सुचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण-पत्र यदि सेवा में हों तो पूर्व नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा ।
2. कुलाधिपति जी के सचिव, म.प्र. राजभवन भोपाल ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ।
4. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल ।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
6. वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, म.प्र. ।
7. कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ ।
8. उप-कुलसचिव (प्रशासन विभाग) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना दें ।

कुलसचिव,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
म.प्र.